>

Title: Introduction of Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें, आपके नेता बोल रहे हैं। बशीर भाई, एक मिनट बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, थोड़ा समय दीजिएगा । ... (व्यवधान)

Sir, I do not have any qualm...

माननीय अध्यक्षः समय देंगे, जब बिल पर डिबेट होगी, अभी मोशन पर बोलना है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, एकदम बिन्दु-बिन्दु में बोलूंगा । ...(व्यवधान) I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is

nothing but a targeted legislation against the minority people of our country ...(Interruptions)

श्री अमित शाह: महोदय, मेरा एक ऑब्जेक्शन है । ...(व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY**: Sir, I am not yielding ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्षः माननीय गृह मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: महोदय, एक सेकण्ड, मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: No, I am not yielding, Sir. मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, यह बिल कहीं पर भी देश की...(व्यवधान) जरा सुनिए तो...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, यह बिल कहीं भी .001 प्रतिशत भी इस देश की माइनोरिटी के खिलाफ नहीं है ।...(व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY**: Sir, let me finish my submission. ...(*Interruptions*)

श्री अमित शाह: मगर, आप घुसपैठियों की चिंता कर रहे हैं, उन घुसपैठियों को कोई अधिकार न देने का यह बिल है ।...(व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY**: Sir, let me finish. ... (*Interruptions*) In the year 1947 on 22<sup>nd</sup> January, Pandit Jawaharlal Nehru had presented a historic Objective Resolution which was

Nehru had presented a historic Objective Resolution which was adopted. In the subsequent stages, the Objective Resolution always acted in shaping of our Constitution. The ideal of the Resolution was reflected in our Constitution which was later, in 1976, got amended. It was surmised and it was summarised into the aims and objectives which says: "We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Secular, Socialist, Democratic Republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity." In the Constituent Assembly, on 26<sup>th</sup> November ... (Interruptions) यदि आप डिस्टर्ब करेंगे, तो हम कहां जाएंगे? ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी हमें तो बोलने दो।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, सदन को इस बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है। इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।...(व्यवधान) मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मंत्री जी, आप हमारी रक्षा करो। आप उन्नाव पीड़ित को संभाल नहीं सके और उन्नाव के पीड़ित को बचा नहीं सके।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान नियम 72(1) पर दिलाना चाहता हूं:

" जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है .....।"

बिल के कंटेंट पर चर्चा नहीं होगी । बिल जब लेकर आऊंगा, तब जो पूछेंगे, सबका जवाब दूंगा ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी नियम पढ़ रहे हैं।

### ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा और एक-एक बात को टाले बिना मैं जवाब भी दूंगा, आप वॉक आउट मत कर जाना। परन्तु अभी सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। इस बिल के कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक मिनट शांत हो जाएं। मैं बोलने का मौका दूंगा। मेरा कहना है कि मैं किसी सदस्य को रोक नहीं रहा हूं।

# ...(<u>व्यवधान</u>)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद):** आप रोक रहे हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। नियम प्रक्रिया में लिखा हुआ है, जब बिल पर डिबेट होगी, जितने सदस्य बोलना चाहेंगे, सभी को बोलने का मौका देंगे। विधेयक पुर:स्थापित करने के समय आपको अधिकार है, आप मत विभाजन भी करा सकते हैं। अभी अपना विषय संक्षिप्त में रखें और चर्चा के समय डिटेल में बोल लेना।

### ...(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: दादा अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, प्वॉइंट आफ आर्डर है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : किस नियम के तहत है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, नियम 72(1) के तहत।

माननीय अध्यक्ष: दादा, अभी व्यवस्था दे रहा हूं। अभी अधीर रंजन जी को बोलने का मौका दिया है।

# ...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आपको भी मौका दूंगा। अभी मैंने पहले अधीर रंजन जी को बोलने के लिए कहा है।

### ...(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY**: Sir, I have a point of order under Rule 72(1). I want to say that what the Home Minister has said is not right. A person may oppose the Bill *per se*. He must give some reasons for opposing the Bill. Only if a substantive question of law is involved when the jurisdiction of the House is called into question, full discussion will be called for.

But I can oppose the Bill *per se* without any detailed discussion. ....(*Interruptions*) What the Home Minister is saying is not right. ... (*Interruptions*) He is giving a wrong interpretation of the Rule of the House.....(*Interruptions*) Maybe, he is new to this House. .... (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधेयक पर चर्चा होगी, तब सब लोग अपना-अपना मत रख सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं । ... (व्यवधान) अभी इसकी विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है ।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, the Rule is very clear. If it is out of the legislative competence, they can oppose it. ....(Interruptions) It is within the legislative competence. ....(Interruptions)

Sir, Rule 72(1) says –

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

यह आउटसाइड दि परिमशन का ही है । आप तो इस पर पूरी डिबेट कर रहे हैं । इस पर सिर्फ इंट्रोडक्शन होना है या नहीं होना है, इतना ही होना चाहिए । ...(व्यवधान)

Sir, if it out of the legislative competence, then let him say that. .... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप जितना बोलना चाहें, मैं सबको मौका दंगा। मैं यह कह रहा हूं कि एक नियम प्रक्रिया बना रखी है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मैं हमेशा आपको मौका देता हूं। आप पाइंटेड बात कर दें। अगर पाइंटेड बात नहीं बोलेंगे, तब आपको पुर:स्थापन पर माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब भी सुनना पड़ेगा। जितना विषय बोलेंगे, उतनी देर आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। यह भी आप विचार कर लें।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, there are deficiencies in the Bill. ... (Interruptions) For the past more than 10 years, Sri Lankan Tamils are there, Christians are there, Muslims are there and other people are there... (Interruptions) They have been there for more than 10 years. .... (Interruptions) So, that deficiency should be corrected by the Home Minister. .... (Interruptions) That is my point. .... (Interruptions) We are opposing the introduction of the Bill. .... (Interruptions)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, फिर से इसके मैरिट्स पर चर्चा हो रही है । मेरा यह कहना है कि सदन की विधायी क्षमता पर ही अभी चर्चा हो सकती है कि सदन के पास यह अधिकार है या नहीं है कि इस बिल पर चर्चा हाथ में लें । श्रीमान बालू जी और अधीर रंजन जी जो कह रहे हैं, वे मैरिट्स में जा रहे हैं । जब डिसकशन होगा, मैं विधेयक पर चर्चा शुरू करूंगा, मुझे सुनने के बाद उनको भी बोलने का मौका मिलेगा ।...(व्यवधान) सब लोग अपना-अपना पक्ष रखें । मैं जवाब भी दूंगा । उसके बाद सदन निर्णय करेगा । मुझे लगता है कि पुर:स्थापित करने के समय पर ये सारी चीजों की चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सदन की कॉम्पीटेंसी का सवाल नहीं है । ये बिल के मैरिट्स पर चर्चा कर रहे हैं ।...(व्यवधान)

**SHRI T. R. BAALU:** Sir, it is a half-backed motion. ....(*Interruptions*) That is why, interests of all should be fulfilled. ...(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के एक बड़े विषय पर यह एक अमेंडमेंट है। सर, मैं जो पढ़ रहा था, वह प्रिएम्बल ऑफ दि कांस्टीट्यूशन पढ़ रहा था। वह क्या आपको अच्छा नहीं लगता? What I said is, "We in the Constituent Assembly on 26<sup>th</sup> November, 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves the Constitution". संविधान का मतलब क्या है? कांस्टीट्यूशन का मतलब होता है- जस्टिस, ईक्वैलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। यह प्रिएम्बल को थ्रो कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 पर आप आक्रमण कर रहे हैं। यह तो

हमारा लोक तंत्र का ढाँचा है।...(व्यवधान) आप उस पर प्रहार कर रहे हैं।... (व्यवधान) आप हिन्दुस्तान को और एक बार कम्यूनल का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) जैसे ब्रिटिश राज में होता था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दीजिए ।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I rise to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 on specific grounds. ...(*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रिव शंकर प्रसाद): आप बिल की काम्पिटेंसी पर नहीं बोल रहे हैं, आप कारण दीजिए। आप वह नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am on my legs. ... (Interruptions)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** सर, यह क्या तरीका है कि आपने एलाउ किया है और मंत्री जी डिस्टर्व कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको भी इजाजत नहीं दी है।

...(व्यवधान)

श्री रिव शंकर प्रसाद: उन्होंने नाम लिया, इसलिए मैं बोल रहा था ।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**SHRI T. R. BAALU**: Sir, we are not satisfied with the Bill. So, we are walking out.

#### 12.32 hrs

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN**: Speaker Sir, I am opposing the introduction of the Bill. I shall fully abide by the rulings of the hon. Speaker and what the hon. Home Minister has rightly pointed out. We are challenging the legislative competence ...(*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने विषय के बारे में बोल दिया है।

### ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं काम्पिटेंसी पर बोलना चाहता हूं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको इसी विषय पर बोलने का मौका दिया था।

# ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

#### ...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, the Preamble of the Constitution has engraved the basis of our democratic fabric and any deviation from it would render any statutory enactment not only nugatory but also unconstitutional. The Supreme Court has also observed: 'Whether it is the Constitution that is expounded or the constitutional validity of a Statute, what is considered a cardinal rule is to look to the Preamble of the Constitution as the guiding light. The Preamble embodies and expresses the hopes and aspirations of the people.'

Articles 5 to 11 of the Constitution deal with the citizenship and the Citizenship Act which was thereafter drafted keeping in mind the guidelines as fixed and prescribed by the Constitution itself. The concept of citizenship cannot be read in isolation but has to be read extensively with the Articles enunciated in our Constitution itself. मैं कहां इसके बाहर बात कर रहा हुं?

The amendment goes against the essence of Articles 5, 10, 14 and 15 of the Constitution of India. Article 5 deals with citizenship at the commencement of the Constitution and Article 10 deals with continuance of the rights of citizenship. The aforementioned Articles define and protect the right of citizenship of Indians, which is in serious threat if the said amendment is sought to be brought. Article 14 guarantees equality before law.

Article 15 protects every person of discrimination on the pretext of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 11 of the Constitution further empowers the Parliament to legislate on citizenship, but it has to be borne in mind that the said legislation is subject to Article 13 which envisages an express bar to legislation inconsistent with the Fundamental Rights guaranteed under Part III of the Constitution. आप बोलिए, माननीय मंत्री, मैंने कहां गलत किया? ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप अन्य दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देंगे ।?

#### ...(व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY**: That is why, we are opposing this kind of a Bill being brought to the House because it is regressive, diversionary and exclusionary ...(*Interruptions*) and it will harm integrity and unity of our country.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN**: Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I shall fully abide by the ruling of the Hon. Speaker. Also, the hon. Home Minister has already spoken about the legislative competence of the Bill. We are challenging the legislative competence of the Bill. That is why, we are discussing.

I am not going into the merits and history of the case. It is entirely different. The first point is that this is the first time in the legislative history of India that in order to acquire the citizenship, one of the main factors is the religion.

Sir, clauses 2 and 6 violate the right to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution as it provides differential treatment to the illegal migrants on the basis of religion. I will not even name the religion. Article 14 is the heart and soul of the Fundamental Rights, Chapter III of the Constitution.

माननीय अध्यक्षः मैं सबकी व्यवस्था दूँगा ।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप मेरी बात भी सुन लें।

आप रूल बुक पर डिबेट करना चाहते हैं, तो आप टू-डू पॉइंट पर बोलें । मैं सबकी व्यवस्था आपको दूँगा । लेकिन आप इस बिल के डिटेल का वर्णन नहीं करेंगे।

## ...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The second point is this. The Clauses in the Bill violate articles 25 and 26 of the Constitution as the right to religion is applicable to all the persons including non-citizens. I repeat, it is applicable to all the persons and even to non-citizens. So, the right to religion is applicable not only to citizens but also to non-citizens. The right to religion under articles 25 and 26 is applicable to all the persons who are residing in India, including non-citizens.

The third point is, the Bill violates the basic structure and features of the Constitution envisaged in the Preamble of the Constitution as entitlement of the citizenship based on religion is against the secular fabric of the country.

The fourth point is, the provisions in clause 4 are self-contradictory as one provision makes the other provision redundant.

The final point is, the Statement of Objects and Reasons is not clear. It is ambiguous as it does not explain the rationale behind differentiating between illegal migrants on the basis of religion they belong to.

So, if it goes to the court of law, definitely the court will strike it down. Therefore, this House has no legislative competence to discuss this Bill. Hence, I oppose its introduction. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: एक बार जो विषय आ गया हो, सदन में उसका रिपिटिशन न करें।

...(व्यवधान)

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM):** The noise from this side is so strong today.

माननीय अध्यक्ष: जिन्होंने नोटिस दिया है, केवल उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाएगा। जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है, वे हाथ खड़ा न करें।

...(<u>व्यवधान</u>)

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY**: Why is there so much opposition from this side? The noise from this side is so strong. Why is it so? The ruling Party should understand that what they are doing is totally against the Constitution.

माननीय अध्यक्षः आप विषय पर अपनी बात कहें।

...(<u>व्यवधान</u>)

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY**: Sir, it is against the essence of the Constitution. The provisions of the Bill are in utter violation article 14 of the Constitution. That is what everybody is saying. The Government should not introduce this Bill.

**HON. SPEAKER:** Okay.

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY**: I will just say one word. It is in violation of article 14, the Fundamental Rights. They are naming one particular community, that too the major community of this nation, that is the Muslim community. They are naming it.

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji.

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY**: They are naming and saying it. ... (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: कहीं पर भी मुस्लिम कम्युनिटी को नेम नहीं किया गया है । यह सत्य नहीं है । ...(व्यवधान)

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY**: They have named four or five communities and excluded one community. So, in a technical manner, it is equivalent to naming one community.

श्री अमित शाह: केवल मुस्लिम एक्सक्लूड नहीं होता है, बहुत-से एक्सक्लूड होते हैं।...(व्यवधान) कहीं पर भी मुस्लिम का नाम नहीं है।...(व्यवधान) आप इसमें दिए गए प्रोविजंस को तोड़-मरोड़कर नहीं रख सकते हैं।...(व्यवधान)

**SHRI P.K. KUNHALIKUTTY**: Let me complete what I have to say. It is almost equivalent to saying that one particular community will not be given citizenship. Everybody knows that. How can you do that in this House? So far it has not happened here.

माननीय अध्यक्ष: आपने विधान की बात रख दी।

प्रो. सौगत राय।

### ...(<u>व्यवधान</u>)

**PROF. SOUGATA RAY**: Sir, I rise to oppose the introduction of Citizenship (Amendment) Bill, 2019 under rule 72(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, this is the book. But I do not refer to only the book. Please see rule 72(1).

I think that the Home Minister, being new to this House, is not fully familiar yet with the rules of procedure ...(Interruptions) I have not used any unparliamentary word ...(Interruptions) I am only saying that it is only six months that he is in this House. He is not yet aware of the rules....(Interruptions) What does the rule say? It is very relevant ...

(Interruptions) Sir, one second ...(Interruptions) क्या मैंने कुछ खराब बोला है? ...(व्यवधान) सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आप सभी को व्यवस्था दूंगा, लेकिन पहले इनकी बात सुन लीजिए । मैं इनके बाद आपको मौका दूंगा ।

...(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY**: ...(*Interruptions*) Sir, can I speak now? ... (*Interruptions*) The rule says: If a motion for leave to introduce a Bill is opposed as it has been done, the Speaker after permitting brief statements from the member who opposes the motion, may without further debate put the question. So, opposing is *per se suo moto*. It does not need any reference to legislative competence.

Secondly, there is a Proviso which says:

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

Sir, I also refer to Kaul and Shakdher 7<sup>th</sup> edition, pages 618-619. आप देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे बिल को अपोज किया जाए ।

माननीय अध्यक्षः मैंने पढ़ लिया है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैंने अपोजिशन का नोटिस दिया था और 10 बजे के अंदर दिया था । मैंने कारण भी दिखाया था कि क्यों मैं इस बिल को अपोज करता हूं । मुझे आपसे विनती करनी है कि आज संविधान संकट में है । ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: आप सभी ने जो नोटिस दिए हैं, मैं उनको पढ़कर सुना दूंगा। आप नोट कर लीजिए और नोटिस के इतर मत बोलिए। आप नोटिस देते हैं और मैं नोटिस को पढ़ता हूं।

# ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी को व्यवस्था दे रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी - आर्टिकल 14 और 15, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी - आर्टिकल 14, 15 और 26, पी.के. कुनहिलकुट्टी जी - आर्टिकल 14, प्रो. सौगत राय - आर्टिकल 14, ई.टी. मोहम्मद बशीर - आर्टिकल 14 और 15, ए.एम. आरिफ जी ने कोई कारण नहीं दिया है और बिना कारण के बोला भी नहीं जाता है। श्री गौरव गोगोई का आर्टिकल 5, 10, 14 और 15 पर है।

# ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मैं आपका नाम लूं, तभी बोलिएगा । मेरी एक बात सभी सुन लीजिए । जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो फिर कानून के हिसाब से ही सब कुछ हो । अभी तक मैं आपको कानून के विपरीत भी बोलने का मौका देता था । अगर आप कानून के अनुसार बात रखना चाहते हैं तो सदन कानून से चल जाएगा । आप एक मिनट रुकिए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

### ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको बोलने के लिए मौका नहीं दिया है।

#### ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात का कोई जवाब नहीं देगा ।

#### ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी की बात अंकित नहीं हो रही है। जो माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनकी बात सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन रही है।

... (व्यवधान) 🛓

माननीय अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, सौगत राय जी, आपने आर्टिकल 14 पर बोलने के लिए नोटिस दिया है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको भी बोलने का मौका देंगे।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: अब आप आर्टिकल 14 पर बोलें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, मैं आर्टिकल 14 के अलावा भी एक पॉइंट रखना चाहता हूं । कृपया मुझे वह पढ़ने दिया जाए । ...(<u>व्यवधान</u>) सर, क्या इस तरह से हाउस में चलेगा?...(<u>व्यवधान</u>) क्या हम लोगों को मारेंगे...(<u>व्यवधान</u>) Let me first read Article 14. ...(*Interruptions*) Sir, Article 14 says that: "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India ...". ...(*Interruptions*) Now, 'any person' includes 'any community'. If any community is left out of the purview of law, then it is violative of Article 14 of the Constitution. This is what I was saying.

Further, I heard the Home Minister four months ago in this House, when he said हमारा स्लोगन है, "एक विधान, एक निशान" ...(व्यवधान) One country, one nation. ...(Interruptions) It was said while abrogating Article 370 ...(Interruptions) सर, मुझे बोलने दिया जाए। It was said while abrogating Article 370 relating to Jammu and Kashmir that one nation one law. So, no separate law for Kashmir.

Now, you are bringing a law and you are saying that the areas included in the Sixth Schedule of the Constitution belonging to Meghalaya, Mizoram, Nagaland will not form part of the law. ... (Interruptions) Also, the areas under the Inner Line Permit will also be excluded. Now, the Home Minister is proposing one law for rest of the country; one law for the Sixth Schedule areas; and one law for the Inner Line Permit. ...(Interruptions) सर, मैं कम्प्लीट कर रहा हूं। इसे पढ़कर खत्म कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पढ़ चुके हैं।

प्रो. सौगत राय: सर, मैं केवल इतना ही पढूंगा।

Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. The ground for opposition are following:

The Bill is divisive and unconstitutional;

It violates Article 14 of the Constitution, which ensures equality before law of all persons; and

This law is against everything that our founding fathers and Dr. Ambedkar envisioned in the Constitution of India.

The Bill, by leaving out the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura, as included in the Sixth Schedule, ...(Interruptions) इसमें क्या गलती हुई है?...( $\underline{\alpha}$ <u>पवधान</u>) क्या पार्लियामेंटरी अफेयर मंत्री नहीं जानते हैं? ...( $\underline{\alpha}$ <u>पवधान</u>) मैंने नोटिस दिया हुआ है  $1...(\underline{\alpha}$ <u>पवधान</u>) सर, मुझे इसे पढ़ने दीजिए  $1...(\underline{\alpha}$ <u>पवधान</u>) सर, मिनिस्टर उठकर रुकावट डाल रहे हैं  $1...(\underline{\alpha}$ <u>पवधान</u>) सर, यह दुखद बात है  $1...(\underline{\alpha}$ <u>पवधान</u>)

**SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI)**: Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Respecting the direction of the hon. Speaker, I am not entering into any other provisions of the Act. What I am saying, in brief, is this. I am very sorry to say that in the history of this House, which made tremendous laws, this is the darkest day because this is the first time an enactment is coming dividing the people into Muslims and non-Muslims. It is a shame. ...(Interruptions) Article 14 of the Constitution says equality before the law. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने इस बिल की मंशा को आप सबको बता दिया है। माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। बैठ जाइए।

# ...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने इस बिल की मंशा के बारे में आपको संक्षिप्त में बता दिया है । मेरे पास आर्टिकल 14 और 15 है ।

#### ...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आर्टिकल 14 में दो लाइन लिखी है, मैं सभी सदस्यों को पढ़कर सुना देता हूं।

#### ...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: 'भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। इस बिल पर बाद में डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन माननीय सदस्य आप बिल की मेरिट पर नहीं बोल रहे हैं, आप भाषण कर रहे हैं । विधेयक क्यों नहीं लाया जाए, उसको पुरःस्थापित क्यों नहीं किया जाए, आप इस पर बोलिए । आप तो बिल पर भाषण कर रहे हैं ।

### ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री गौरव गोगोई (किलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी ने भी उत्तर-पूर्वांचल को लेकर बात नहीं रखी है। मैं पहला व्यक्ति हूं, जो यह कह रहा है कि उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को आर्टिकल 371 ए,बी,सी,एफ और जी के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यह बिल उन सारे प्रोविजन्स का उल्लंघन करता है। यह असम एकार्ड का उल्लंघन करता है। पूरे तरीके से डिस्टैबिलाइज़ करता है।...(व्यवधान) इसलिए, हम इसके विरोध में हैं।... (व्यवधान)

**DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):** Sir, I am opposing the Parliament's legislative competence to address and pass this Bill because it is an assault on the foundational values of our Republic. The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or on geographical grounds or on linguistic grounds. It divided on one simple principle: should religion be the determinant of our nationhood. The fact is, those who believe their religion should determine nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan.

Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maula Azad, they all said, religion cannot determine nationhood. Our nation is a land for everybody. That is why, this is violative of the fundamental structure of the Constitution of India. It betrays the Preamble, on which I have given you a notice. Preamble constitutes an integral part of the basic structure. That is violated. It violates Article 14, as others have pointed out, which applies to all persons not just citizens. ...(Interruptions) Finally, it enshrines discrimination against the values of our

Constitution. I, therefore, believe, we do not have the competence to discuss this Bill. It should not be brought forward and introduced.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, मैं सिर्फ चार पाइंट्स पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट पर 40 पाइंट्स बोलिएगा ।

### ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, आपने क्या कहा है, मैं सुन नहीं पाया हूं ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट पर 40 पाइंट्स बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा ।

## ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, 40 का वक्त नहीं है, सिर्फ 4 पर ही बोलूंगा I...(व्यवधान) ये जवाब नहीं दे पाएंगे I...(व्यवधान) महोदय, पहली बात यह है कि सेकुलिरज्म इस मुल्क के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशवानंद भारती में कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा गया है। दूसरा, हम इस एक्ट की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स को वाइलेट करता है, आर्बिट्री इन नेचर है। शायरा बानो और नवतेज जोहर का जिक्र है। तीसरा, बोम्मई और केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटिजनिशप का कान्सेप्ट सिंगल है। आप इस बिल को लाकर सर्वानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा, हमने चकमा को...(व्यवधान) यह सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में, चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाज़त है, बगैर आई.एल. परिमट के। आखिरी पाइंट है, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क को ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर जी को भी बचा लीजिए I...(व्यवधान) वरना क्या होगा कि न्यूरेमबर्ग रेस लॉज़ और इजराइल के

सिटिजनशिप एक्ट में ... \* के साथ लिखा जाएगा । आप हाउस को बचाइए ।... (व्यवधान)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، 40 کا وقت نہیں ہے، صرف 4 پر ہی بولوں گا (مداخلت). یہ جواب نہیں دے پائیں گے (مداخلت) جناب، پہلی بات یہ ہے کہ سیکولرزم اس ملک کے بیسِک اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ کیشوآنند بھارتی میں کہا گیا ہے، آرٹیکل 14 میں کہا گیا ہے۔ دوسرا اس ایکٹ کی ہم اس لئے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ فنڈا مینٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، آرپٹری اِن نیچر ہے۔ سائرہ بانوں اور نو تیج جوہر کو ذکر ہے۔ تیرس بوممئی اور کیشوآنند بھارتی ہیں۔ چوتھا ہمارے ملک میں سیٹیزن شب کا کنسیپٹ سِنگل ہے۔ آپ اس بل کو لا کر سروانند سونو وال سپریم کورٹ کا کیس کا وائلیشن کر رہے ہیں۔ پانچواں ہم نے چکما کو (مداخلت)… یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے۔ (مداخلت)… یہ سپریم کورٹ کا پردیش میں رہنے کی اجازت ہے، بغیر آئی۔ایل، پرمِٹ کے۔ آخری پوائنٹ ہے میں آپ سے پردیش میں رہنے کی اجازت ہے، بغیر آئی۔ایل، پرمِٹ کے۔ آخری پوائنٹ ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس ملک کو ایسے قانون سے بچا لیجیئے اور آپ ہوم منسٹر صاحب کو بھی بچا لیجیئے (مداخلت)… ورنہ کیا ہوگا کہ نیو ریمبرگ ریس لاز اور اسرائیل کے سیٹیزن شب ایکٹ میں (کاروائی میں شامل نہیں) کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اسرائیل کے سیٹیزن شب ایکٹ میں (کاروائی میں شامل نہیں) کے ساتھ لکھا جائے گا۔

माननीय अध्यक्ष: इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसी भाषा को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः श्री एस.एस. अहलूवालिया जी बोलिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ निकाल देंगे।

...(व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) अरे बैठो न । ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी सिटीजनशिप बिल, 2019 का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूज करने के लिए रखा है और हमारे विद्वान साथी अधीर रंजन जी ने इसका विरोध करते हुए ...(व्यवधान) इसका अपोज़ किया है । (व्यवधान) मैं आर्टिकल - 5, 10, 14, 25 और अर्टिकल - 26 के बारे में बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) महोदय, जो कि मेरे ऊपर भी लागू होता है। ...(व्यवधान) मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूँ । ...(व्यवधान) जो मेरे ऊपर भी लागू होता है। ...(व्यवधान) मुझे यह बोलने का पूर्ण अधिकार है। ...(व्यवधान) मैं आर्टिकल - 5 के बारे में कहना चाहता हूँ कि नागरिकता का यह विधेयक किस पर लागू होगा । ...(व्यवधान) इसमें आर्टिकल – 5 का उल्लेख करते हुए जब इन्होंने बात रखी है कि "At the commencement of the Constitution, every person who has his domicile in the territory of India" ...(व्यवधान) यह उनके लिए लागू होता है । ...(व्यवधान) किंतु आर्टिकल – 10, जिसके प्रावधान को ही संशोधन करने के लिए गृह मंत्री ने यहां पर एक बिल इंट्रोड्यूज़ करने की कोशिश है, वह है आर्टिकल -10 ...(व्यवधान) "Every person who is or who is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament..." ...(व्यवधान) जब तक यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूज़ नहीं होगा, तो इसका प्रावधान कहां से आएगा? ...(व्यवधान) यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूज़ होना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय गृह मंत्री जी, बोलिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ दादा बैठ जाइए । नोटिस दिया करो ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः गृह मंत्री जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भैया, आप बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिए। एक मिनट गृह मंत्री जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन में इतना जोश मत खाया करो। मैंने अहलूवालिया जी को परिमशन दी है और सुनो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ एक कानून मैं आपको बताऊं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए ।

#### ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कई बार सदस्यों को, वरिष्ठ सदस्यों को जब कानून की डिबेट होती है।

...(व्यवधान)

#### 13.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप मुझे भी बोलने नहीं देंगे क्या? प्लीज बैठ जाइये।

# ...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को बोलने का अवसर देता हूँ। मैंने कभी भी आपके अवसर को समाप्त नहीं किया। क्या मैंने कभी इसे समाप्त किया है?

# अनेक माननीय सदस्य : नहीं सर।

माननीय अध्यक्ष: मैं सब को पर्याप्त अवसर देता हूँ। किसको अवसर देना है, किसको अवसर नहीं देना है, कुछ चीजें मुझे तय करने दिया करो। माननीय सदस्य, आप जोश में बोल रहे हो। आपको भी कई बार नोटिस दिए बिना भी मैं बोलने का मौका देता हूं। नियमों से परे भी मौका देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर बोलें।

## ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी बोलना ।

#### ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं यह बिल पुर:स्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कम्पीटेंसी के बारे में सवाल उठाया । कम्पीटेंसी इस दृष्टि से कि यह बिल

संविधान के कई आर्टिकल्स की मूल भावना को आहत करता है। इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे। इस बिल को पुर:स्थापित न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मै सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कंट्रांडिक्ट नहीं करता है।...(व्यवधान) आप सुनें ना।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, बैठिये।

...(<u>व्यवधान</u>)

**श्री अमित शाह:** बैठ जाओ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी का भाषण रिकार्ड में अंकित हो।

...(<u>व्यवधान</u>)... <u>\*</u>

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल का मैं पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ, वह बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करें। मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। मैं अनुच्छेद 11 का उपबंध पढ़ना चाहता हूँ-

"इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।" ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी का वक्तव्य अंकित नहीं होगा ।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, इस तरह से नहीं होगा। मैं सब का जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली सभी ने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने थोड़ा आर्टिकल-14 को पढ़ना चाहता हूं: -

''राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

यह है आर्टिकल-14.

मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, इसमें कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत हो गया है, परन्तु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल-14 रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता ।...(व्यवधान) एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। वर्ष 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं, सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि फिर पाकिस्तान से आए हुए लोगों को इसमें क्यों नहीं लिया?...(व्यवधान) आप बैठिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है ।...(व्यवधान) मैं बताता हूं ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त के लिए मेरा छोटा-सा सवाल है कि जब आर्टिकल-14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए । उनका गुस्सा होना स्वाभाविक भी है । मैं उनका गुस्सा होना समझ रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं ।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि यह तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए था, तो यह भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। वर्ष 1971 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन-चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई है। मैं जब बिल का जवाब दूंगा तो बताऊंगा।...(व्यवधान) मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, आर्टिकल-14 पर ही बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह भाषण हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने भी भाषण दिया था।

श्री अमित शाह: भाषण तो होगा ही ।...(व्यवधान)

मान्यवर, उसके बाद युगांडा से आए हुए सारे लोगों को, इस देश में, काँग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई। क्यों युगांडा से आए हुए लोगों को दिया, इंगलैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं दिया? सबको देने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रिजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउण्ड पर युगांडा वालों को दिया गया था।

दंडकारण्य कानून लेकर आए। तब भी सबको नागरिकता दी। उस वक्त भी, वर्ष 1959 में क्यों सिर्फ बांग्लादेश को किया, क्योंकि रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर यह किया गया।

मान्यवर, श्रीमान् राजीव गाँधी जी ने असम अकॉर्ड किया। फिर से वर्ष 1971 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। वर्ष 1971 के बाद के लोगों को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक कट-ऑफ डेट नक्की थी, तो क्या वहां आर्टिकल-14 अप्लाई नहीं होता था? पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को वर्ष 1971 से ले लेते?

मान्यवर, ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अन्दर हैं। मैं ढेरों संविधान को क्वोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनिशप ले ले। वे ग्रीन कार्ड देते हैं। वे इसे किसके आधार पर देते हैं? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, उसे

देते हैं । क्या इससे समानता विकसित होती है? यह नहीं होती है । यह एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है । ऐसे कई सारे कानून हैं । इसे छोड़ दीजिए ।

मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का, आर्टिकल-14 का, मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र जैसा इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर वैसा ही इंटरप्रिटेशन समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे, मुझे यह बताइए ।...(व्यवधान) समानता का कानून वहां एप्लाई क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो अधिकार मिले हैं, क्या वह आर्टिकल-14 को वॉयलेट करता है? ...(व्यवधान) दादा आप बैठ जाइए । आपको मुझे सुनना पड़ेगा ।... (व्यवधान) आप बैठ जाइए । मैं आपको एक-एक चीज का जवाब देता हूं ।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, इस सरकार को पांच साल के लिए चुना गया है । आपको हमें सुनना पड़ेगा । इस तरह से नहीं चलेगा । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): अध्यक्ष जी, पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कितनी गिरी है, वह भी इनको देखना पड़ेगा। इस सबको हमें भी देखना पड़ेगा। आपके टाइम में यही सब देखना होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सभी सदस्यों को चुप करा रहा था। अगर इस सदन को चलाना है और गंभीरता से चलाना है, सवाल करेंगे तो जवाब भी सुनना चाहिए। मैं आपको डिबेट के समय पर्याप्त समय दूंगा, यह आपको बताया है। गृह मंत्री जी के भाषण के बीच में कोई भी माननीय सदस्य न उठे, न ही उनका भाषण अंकित होगा।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, रिजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 के रहते ढ़ेर सारे कानून बने हैं। इस कानून को लाने के लिए रिजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या आधार है, वह मुझे बताना चाहिए। मैं जब बिल पॉयलट कर रहा हूं, बिल लेकर आया हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं सदन के सामने रिजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार रखूं।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अंदर भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्यों, नेपाल नहीं है?

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेपाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जब बिल चर्चा में आएगा तब सभी का जवाब दूंगा।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अभी आप जिक्र करना बंद कीजिए, हम भी चुप रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि आप अपनी गरिमा बनाए रखें, अपनी सीट पर से न उठे, अच्छा नहीं लगता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ये मौका देते हैं इसलिए उठता हूं।

श्री कल्याण बनर्जी: अध्यक्ष जी, मंत्री जी अगर ठीक बोलेंगे तो हम भी सुनेंगे। मंत्री जी अगर लक्ष्मण रेखा क्रास कर जाएंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, ... (व्यवधान) हम लोग अपोज करने के लिए आए हैं और अपोज करके रहेंगे। आप पांच वर्ष मिनिस्टर रहेंगे और हम लोग पांच वर्ष तक अपोज करेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दादा, आज आप जोश में क्यों हो, आपका संदेश वहां तक पहुंच गया है।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर था। रिजनेबल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? इस बिल के प्रस्ताव को संशोधन लेकर आया हूं, उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: सभी सदस्य कह रहे हैं कि भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है।...(व्यवधान) मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा।...(व्यवधान) रिकॉर्ड की बात है।...(व्यवधान) मैं इस देश के भूगोल को जानता हूं।...(व्यवधान) मैं यहीं का हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं रिपीट करना चाहता हूं, इस देश की 106 किलोमीटर की जमीनी सरहद अफगानिस्तान से सटी है।...(व्यवधान) शायद ये

लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं ।... (व्यवधान)

मैं सभी सदस्यों से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को धैर्य से सुनें, सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं है ।...(व्यवधान) इसमें बहुत सी चीजें हैं ।...(व्यवधान)

महोदय, तीन देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमें तीनों देश के संविधान को बारीकी से देखना पड़ेगा, अगर इस बिल के तथ्यों को समझना है।...(व्यवधान) अखिलेश जी, जल्दी समझ में नहीं आएगा।... (व्यवधान)

मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के संविधान के अनुच्छेद में पवित्र धर्म इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब स्टेट का एक धर्म है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 2 देखिए, इसमें प्रावधान है – पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2क में रिपब्लिक राज्य बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है।...(व्यवधान) मैं तीनों पड़ोसी देशों के धर्म का जिक्र कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, बहुत हो गया ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं फिर से यह स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं बिल पर बात नहीं कर रहा हूं । मैं बिल की कांपिटेंसी को समझा रहा हूं । अपने वक्तव्य के अंदर दयानिधि मारन जी श्रीलंका के बारे में पूछेंगे तो जरूर जवाब दूंगा । मगर, मैं अभी बिल की वैधानिक कांपिटेंसी के बारे में कह रहा हूं । ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया के जिन देशों के बारे में पूछना है, पूछ लीजिएगा । ...(व्यवधान) मैं सबका जवाब दूंगा ।

माननीय अध्यक्षः आप सभी बैठ जाइए।

### ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्यवर, ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देश के संविधान के अंदर राज्य के धर्म का जिक्र है । पार्टिशन के वक्त शरणार्थियों का यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना हुआ । वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ । मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा । मगर, नेहरू-लियाकत समझौते में, उस समय पूर्व और पश्चिम दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समझौता हुआ । इसमें दोनों देशों ने अपने यहां मॉइनोरिटी के संरक्षण की व्यवस्था की गारंटी दी । दुर्भाग्य से, यहां पर इसका अनुपालन ठीक ढंग से हुआ, लेकिन इन तीनों देशों में मॉइनोरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा, बहुत अत्याचार हुए । वे अत्याचार के मारे, धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अधीर रंजन जी प्लीज।

# ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: एक मिनट, मेरे शब्द को मत पकड़िए। दानिश अली जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्यचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्यचार होगा, कभी नहीं हो सकता।...(व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक मिनट माननीय सदस्य ।

## ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: इतने अधीर मत होइए अधीर रंजन जी । बैठ जाइए । ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** वे बोल रहे हैं, एक मिनट ।

#### ...(व्यवधान)

**श्री अमित शाह:** मान्यवर, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज।

### ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, इन तीनों राष्ट्रों के अंदर हिन्दू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन छ: मत के धर्म का पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप सभी बैठ जाइए।

### ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेकर नागरिकता देने का बिल है। यह भी कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए गए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं लिए। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी गई है और भविष्य में भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन देंगे तो सबको मिलेगा। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** एक मिनट प्लीज, माननीय मंत्री जी आप इनका जवाब मत दीजिए।

### ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: मान्वयर, अब ये इतना बोल रहे हैं तो मैं कह दूं कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? ...(व्यवधान) जब देश को आजादी मिली, तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो इस बिल की जरूरत न पड़ती। ...(व्यवधान) किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? ...(व्यवधान) इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। ...(व्यवधान) मान्यवर, इनको सुनना पड़ेगा। यह इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान)

मान्यवर, इस देश का विभाजन हुआ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, आपका भाषण अंकित हो रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी । ...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप लोग बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्लीज, आप लोग बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इन तीनों राष्ट्रों के अंदर, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जिन छ: धर्म समुदाय, जिनका मैंने नाम कहा है, वे लोग भारत में आए हैं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है । This is reasonable ground for classification. इस रीजनेबल ग्राउण्ड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को यह बिल आहत नहीं करता है । ...(व्यवधान)

मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि इन तीन राष्ट्रों से अगर कोई मुसलमान, मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन देता है तो यह देश खुले मन से उस पर विचार करेगा, परन्तु लोगों को यह जो प्रावधान होने जा रहा है, उसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है । इस निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर हम यह बिल लेकर आए हैं । ...(व्यवधान)

मान्यवर, आर्टिकल 371 का जिक्र हुआ है । ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रॉविजन को यह बिल वायलेट नहीं करेगा, आहत नहीं करेगा, वह जस का तस रहेगा । मैं आपसे इतना ही

कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल्स कोट किए गए है, उन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ही इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है और मैं मानता हूं कि यह बिल इस सदन की कम्पिटेंसी की परव्यू के अंदर आता है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

# माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हम इस पर डिवीजन चाहते हैं।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं। अब प्रवेश कक्ष खाली हो गए हैं।

महासचिव।

# स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

\*m13

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के संचालन से संबंधित विधि की ओर आकृष्ट किया जाता है। मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उस स्थान से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगे, तब मैं, महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी, जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिसप्ले बोर्डों के ऊपर लाल बटन जलेंगे और इसके साथ-साथ गोंग की ध्विन भी सुनाई देगी। मतदान के

लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात् ही दो बटन एक साथ दबाएंगे।

इस बात को मैं पुन: दोहराना चाहूंगी कि केवल गोंग की साउंड के बाद ही दोनों बटन दबाए जाएं। प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा वोट बटन और सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन यदि आप 'हाँ' कहना चाहते हैं तो 'हरे' रंग का बटन दबाएंगे और यदि 'नहीं' कहना चाहते हैं, तो 'लाल' रंग का बटन और यदि मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो 'पीले' रंग का बटन दबाएंगे। गोंग की ध्विन दूसरी बार सुनाई देने तक, मैं यह भी बता दूं कि पहली ध्विन और दूसरी ध्विन के बीच में दस सैकेंड का अंतर होता है और इन दस सैकेंड के लिए आपको दोनों बटन दबाकर रखने हैं और प्लाजमा डिसप्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब भी उसी के साथ बुझते हैं। तब तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।

माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे, यदि गोंग की ध्विन सुनने से पहले उन्होंने बटन दबा दिया हो । दूसरी गौंग ध्विन सुनाई देने तक दोनों बटन लगातार दबाकर नहीं रखे गए हों । माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिसप्ले बोर्डों पर अपना मत देख सकते हैं । मत रिजस्टर नहीं होने की दशा में वे पर्ची के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री प्रिंस राज, जिन्हें अभी मत-विभाजन संख्या आबंटित नहीं हुई है, उनको सीट पर पक्ष-विपक्ष में मुद्रित पर्ची अपना मतदान रिकार्ड कराने के लिए दी जाएगी। वे पर्ची पर विनिर्दिष्ट स्थान पर अपना नाम, पहचान, पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, दिनांक को स्पष्ट लिखकर और पर्ची पर हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार मतदान करें। यदि माननीय सदस्य मतदान में भाग नहीं लेना रिकार्ड करना चाहते हैं तो मतदान में भाग नहीं लेने वाली पर्ची की मांग कर सकते हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

## माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

# लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

-

### DIVISION hrs

**AYES** 

13.34

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Angadi, Shri Suresh C.

Anuradha, Shrimati Chinta

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Baruah, Shri Pradan

Basavaraj, Shri G. S.

Bey, Shri Horen Sing

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

\*Bholanath 'B.P. Saroj', Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bisen, Dr. Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

\*Chandra Sekhar, Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

\*Chikhlikar, Shri Prataprao Patil

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Darbar, Shri Chattar Singh

Das, Shri Pallab Lochan

Deb, Shri Nitesh Ganga

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Galla, Shri Jayadev

Gambhir, Shri Gautam

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sudheer

Hegde, Shri Anantkumar

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Kaswan, Shri Rahul

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

\*Kirtikar, Shri Gajanan

Kishan, Shri Ravi

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

\*Kumar, Shri Bandi Sanjay

\*\*Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumari, Sushri Diya

Kundariya, Shri Mohanbhai

Lal, Shri Akshaibar

Lalrosanga, Shri C.

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

Mandal, Shri Ramprit

Mandavi, Shri Mohan

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

\*Mendhe, Shri Sunil Baburao

Mishra, Shri Janardan

Mohan, Shri P. C.

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara, Dr. (Prof.) Mahendra

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

\*Nishad, Shri Praveen Kumar

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oja, Shrimati Queen

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Krishan

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Santosh

\*Paras, Shri Pashupati Kumar

Parkash, Shri Som

Paswan, Shri Chirag Kumar

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pfoze, Dr. Lorho

Pintu, Shri Sunil Kumar

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

\*Prasad, Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Pujari, Shri Suresh

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rai, Shri Nityanand

\*Raj, Shri Prince

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rathod, Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. (Retd.) Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

\*Samanta, Prof. Achyutananda

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Simha, Shri Prathap

Singari, Dr. Sanjeev Kumar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Mahabali

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Singh, Shrimati Himadri

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Suman, Dr. Alok Kumar

Supriyo, Shri Babul

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Tripura, Shri Rebati

Tudu, Er. Bishweswar

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Vallabhaneni, Shri Balashowry

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Rajesh Vichare, Shri Rajan Baburao Vikhe Patil, Dr. Sujay Yadav, Shri Ashok Kumar \*Yadav, Shri Dinesh Chandra Yadav, Shri Giridhari

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yepthomi, Shri Tokheho

### **NOES**

Ali, Kunwar Danish
Anand, Shri D.M.Kathir
Antony, Shri Anto
Ariff, Adv. A. M.
Baalu, Shri T.R.
\*Baij, Shri Deepak
Bandyopadhyay, Shri Sudip
\*Banerjee, Shri Abhishek
Banerjee, Shri Kalyan
Banerjee, Shri Prasun
\*Barq, Dr. Shafiqur Rahman
Basheer, Shri E. T. Mohammed
Behanan, Shri Benny
\*Bordoloi, Shri Pradyut

Borlakunta, Dr. Venkatesh Netha

\*Chandra, Shri Girish

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chellakumar, Dr. A.

\*Chinraj, Shri A.K.P

\*Chowdhury, Shri Abu Hasem Khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dhanorkar, Shri Balubhau alias Suresh Narayan

\* Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Gandhi, Shrimati Sonia

Gogoi, Shri Gaurav

Haridas, Kumari Ramya

\*Hasan, Dr. S.T.

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

\*Jawed, Dr. Mohammad

\*Jayakumar, Dr. K.

Jothimani, Sushri S.

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaur, Shrimati Preneet

\*Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Abu Taher

Kolhe, Dr. Amol Ramsing

\*Kumar, Shri Dhanush.M.

Kunhalikutty, Shri P.K.

Kuriakose, Adv. Dean

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Mal, Shri Asit Kumar

\*Malothu, Shrimati Kavitha

Manickam Tagore, Shri B.

Mann, Shri Bhagwant

Maran, Shri Dayanidhi

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Muraleedharan, Shri K.

Natarajan, Shri P.R.

\*Nath, Shri Nakul K.

Navaskani, Shri K.

Owaisi, Shri Asaduddin

Paarivendhar, Dr. T. R.

Pala, Shri Vincent H.

Pasunoori, Shri Dayakar

Patil, Shri B.B.

Poddar, Shrimati Aparupa

Pon, Shri Gautham Sigamani

\*Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Adv. Adoor

\*Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavan, Shri M.K.

Raja, Shri A.

Rao, Shri Nama Nageswara

Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Manne Srinivas

\*Reddy, Dr. G. Ranjith

Reddy, Shri Kotha Prabhakar

Reddy, Shri Uttam Kumar

Roy, Shrimati Mala

Roy (Banerjee), Shrimati Satabdi

Sardinha, Shri Francisco

Selvam, Shri G.

Senthilkumar S., Shri DNV

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Ravneet

Sreekandan, Shri V. K.

Subba, Shri Indra Hang

Subbarayan, Shri K.

\*Sudhakaran, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Tatkare, Shri Sunil Dattatray

Tewari, Shri Manish

\*Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

\*Vasanthakumar, Shri H.

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Ram Shiromani

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Akhilesh

\*Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Shyam Singh

#### **ABSTAIN**

Nil

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि<u>\*</u> के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम यह है:

पक्ष 293

विपक्ष 82

# प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: लॉबीज खोल दी जाएं।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17, डॉ. जयशंकर जी।

## **13.40 hrs**

(iii) Anti-Maritime Piracy Bill, 2019\*